कार्यालयः— जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर (राज.)

निविदा सूचना संख्या—01/2025—26

दिनांक— 16.6.2025

UBN No. –

NIB No. –

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर के अधीनस्थ "लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल कार्यालय, जैसलमेर" के लिए दिनांक 31.03.2026 तक की अवधि के लिए संविदा सेवा के तहत निम्न पदों हेतु इच्छुक निविदादाताओं/रजिस्टर्ड फर्मों से निर्धारित निविदाएं प्रपत्र में निविदा आमंत्रित की जाती हैं—

क्र. सं.	पद का नाम (पूर्णतया अस्थाई पद)	कार्मिकों की संख्या	अधिकतम देय पारिश्रमिक (प्रति व्यक्ति प्रतिमाह)	बोली प्रतिभूति राशि (E.M.D.) (रू.)	बोली प्रपत्र शुल्क राशि (रू.)	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय
1	Office Assistant	03	14,000/-	12,460/-	200/-	29.06.2025 (05 PM)	30.06.2025 (02 PM)	30.06.2025 (03 PM)
2	Receptionist Cum Data Entry Operator	01	14,000/-					
3	Office Peon	03	11,000/-					

नोट—

1. निविदा आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना एवं शर्तें कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसलमेर के नोटिस बोर्ड व राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल https://sppp.rajasthan.gov.in तथा https://Jaisalmer.dcourts.gov.in पर देखी जा सकती है।
2. निविदादाता निविदा की दरें निर्धारित प्रारूप में अन्तिम तिथि दिनांक 30.06.2025 को दोपहर 02.00 पीएम तक निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करनी होंगी। प्राप्त निविदाओं को उसी दिवस दिनांक 30.06.2025 को 03.00 पीएम पर उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी। निर्धारित तिथि पश्चात् प्राप्त निविदाओं को कतिपय स्वीकार नहीं किया जायेगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
जैसलमेर

कार्यालयः— जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर (राज.)

सम रोड, जैसलमेर फोन— 8306002123

क्रमांक—जिविसेप्रा./लेखा/जैसलमेर/2025—26/ दिनांक—

निविदा सूचना संख्या—01/2024—25

UBN No. – **NIB No. –**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2025—26 हेतु (कार्य आदेश तिथि से दिनांक 31.03.2026 तक) जिला मुख्यालय, जैसलमेर पर स्थापित लीगल एड डिफेन्स काउन्सिल कार्यालय के लिये पूर्णतया अस्थायी पदों के लिए संविदा अनुबन्ध सेवाएं वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.4.2018 व 14.11.2018 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के दिशा—निर्देशानुसार निम्न कार्य आपूर्ति हेतु रजिस्टर्ड ठेकेदार/फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं से निम्नानुसार निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं—

क्र. सं.	पद का नाम (पूर्णतया अस्थाई पद)	कार्मिकों की संख्या	अधिकतम देय पारिश्रमिक (प्रति व्यक्ति प्रतिमाह)	बोली प्रतिभूति राशि (E.M.D.) (रू.)	बोली प्रपत्र शुल्क राशि (रू.)	निविदा प्रपत्र ऑनलाईन डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय	निविदा खोलने की दिनांक व समय
1	Office Assistant	03	14,000/-	12,460/-	200/-	29.06.2025 (05 PM)	30.06.2025 (02 PM)	30.06.205 (03 PM)
2	Receptionist Cum Data Entry Operator	01	14,000/-					
3	Office Peon	03	11,000/-					

3. निविदा आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना व अन्य शर्तें आदि कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसलमेर व राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल https://sppp.rajasthan.gov.in तथा https://Jaisalmer.dcourts.gov.in पर भी देखी जा सकती है।

4. निविदादाता निविदा की दरें निर्धारित प्रारूप में अन्तिम तिथि दिनांक 30.06.2025 को दोपहर 02.00 पीएम तक प्रस्तुत करनी होंगी। प्राप्त निविदाओं को उसी दिवस दिनांक 30.06.2025 को 03.00 पीएम पर उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष चयन/क्रय समिति द्वारा खोली जायेगी। निर्धारित तिथि पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

5. निविददाता द्वारा निविदा शुल्क 200/— ई—ग्रास चालान के माध्यम से बजट मद 0075—00—800—52—01 व प्रतिभूति राशि 12,460/— ई—ग्रास चालान के माध्यम से बजट मद 8443—00—103—00—00 में जमा करानी होगी तथा चालान की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ इस कार्यालय में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। निविदा शुल्क व प्रतिभूति राशि नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक से स्वीकार्य नहीं होगी तथा निविदा शुल्क व प्रतिभूति राशि रोकड़ जमा कराये जाने की स्थिति में निविदा से वर्जित किया जाएगा **(Department Code–100211, DDO Code -25027)**

6. किसी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित हैं।

7. भर्ती किये जाने वाले उक्त कार्मिकों की संख्या बढाने/घटाने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित हैं।

8. कार्मिकों की संख्या घटाई/बढाई जा सकती है।

अधिशासी अधिकारी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश),
जैसलमेर

कार्यालयः— जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर (राज.)

सम रोड़ जैसलमेर फोन— 8306002123

खुली बोली प्रपत्र 1
(तकनीकी बोली)

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व पता व मोबाईल नंबर
.....

2. निविदा शुल्क रूपये 200/— ई—ग्रास चालान संख्यादिनांक.....
के द्वारा बजट मद 0075—00—800—52—01 निविदा प्रपत्र शुल्क में जमा करवा दी गई है।

3. बोली प्रतिभूति/धरोहर राशि रूपये 12,460/— का ई—ग्रास चालान संख्या.....
दिनांक.....द्वारा बजट मद 8443—00—103—00—00 में जमा करवा दी गई हैं।

4. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम में प्रस्तुत किया जायेगा तथा इनके पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्व—हस्ताक्षरित और सुपठनीय प्रति बोली दस्तावेजों के साथ आवश्यक रूप से साथ लगानी होगीः—

S.No.	Particulars	Reg. No. and Year	Date of Reg.	Annexure No.
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन व उन्मूलन) अधिनियम, 1970			
2.	कर्मचारी भविश्य निधि अधिनियम, 1952			
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948			
4.	वस्तु एवं सेवाकर (G.S.T.)			
5.	आयकर नम्बर (PAN Number)			
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट, 1956 के अन्तर्गत			
7.	अनुभव का विवरण (अपने लैटर हेड पर पृथक से सूची संलग्न करे और संबंधित विभाग/संस्थान से जारी संतोशजनक सेवा का प्रमाण भी संलग्न करें)			
8.	बैंक खाते का Cancelled चेक			

नोट— नियमानुसार जो भी लागू हो, उसमें सम्पूर्ण सूचनाएं अंकित करें अन्यथा दरों पर विचार नहीं किया जायेगा।

1. मैं/हम सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर कार्यालय द्वारा जारी की गई खुली बोली सूचना संख्या.....दिनांक.....में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त बोली सूचना को सभी सामान्य/विशिष्ट/अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करतें हैं।

2. मैं/हम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के सभी उपबन्धों के सभी उपबन्धों, समय—समय पर किये जाने वाले संशोधन/बदलाव सहित से यथावत् बाध्य होना भी स्वीकार करते हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कार्यालयः— जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर (राज.)

सम रोड़ जैसलमेर फोन— 8306002123

खुली बाली प्रपत्र—2
(वित्तीय बोली)

वित्तीय वर्ष 2025—26 हेतु (कार्य आदेश की तिथी से दिनांक 31.03.2026 तक) कार्मिकों की सेवाओं के उपापन के लिये वित्तीय बोली/प्राईस बिड में हमारी दरें निम्नानुसार प्रस्तुत हैं—

क्र. सं.	पद का नाम (पूर्णतया अस्थाई)	कार्मिक को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नही होगी मय संख्या			प्रस्तावित राशि (रूपयों में)
		कार्मिक श्रेणी	कार्मिक की संख्या	सभी प्रकार के कर सर्विस चार्जेज तथा EPF/ESI/ GST/Etc. सहित अधिकतम राशि (प्रतिमाह प्रति व्यक्ति) रूपये	
1	2	3	4	5	6
1	Office Assistant	उच्च कुशल	03	14,000/-	
2	Receptionist Cum Data Entry Operator	उच्च कुशल	01	14,000/-	
3	Office Peon	उच्च कुशल	03	11,000/-	

1. उपर्युक्त तालिका के कॉलम संख्या 6 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्ठियॉ अंकित की जायेगी।
2. किसी भी स्थिति में अधिकतम देय राशि कॉलम संख्या 05 (प्रतिमाह प्रति व्यक्ति) से अधिक नही होगी तथा इसमें सभी प्रकार के कर, सर्विस चार्जेज तथा EPF/ESI/GST/Etc. शामिल होंगे।
3. कॉलम संख्या 6 में दरें शून्य/ऋणात्मक में स्वीकार नहीं की जायेगी तथा राशि पूर्ण रूपये में अंकित की जायेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

—नियम एवं शर्तें—

1. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क 200/– ई ग्रास चालान के माध्यम से बजट मद 0075–00–800–52–01, प्रतिभूति राशि 12,460/– ई ग्रास चालान के माध्यम से बजट मद 8443–00–103–00–00 में जमा कराई जायेगी तथा चालान की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। निविदा शुल्क व प्रतिभूति राशी नकद अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक से स्वीकार्य नहीं होगी तथा निविदा शुल्क व प्रतिभूति राशि रोकड जमा कराये जाने की स्थिति में निविदा से वृजित किया जाएगा **(Department code-100211, DDO Code-25027)**

2. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वितीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाइन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे।

3. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संवेदक/बोलीदाताओं का होगा।

4. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक(नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत सवेंदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु पात्र होगें। पंजीकरण प्रमाण पत्र की स्वप्रमाण्ति प्रतिलिपि सम्पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

5. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित कार्मिकों को मानदेय का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों मे ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित कार्मिकों के बैंक खातों मे जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। कार्मिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही सवेंदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

6. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार कार्मिकों को भुगतान करने का दायित्व सबंधित सवेंदक/बोलीदाता का होगा।

7. कार्मिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर सवेंदक/बोलीदाता को बढी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

8. सवेंदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार समस्त कार्मिकों को नियमानुसार ई.पी.एफ. व ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित कार्मिक के मानदेय राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह में पेटे कार्मिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जानी की पुष्टि में सबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किये जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

9. संवेदक/बोलदाता द्वारा प्रत्येक कार्यस्थल पर Display Boards लगायें जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम संविदा की अवधि, कार्य की प्रगति कार्मिकों हेतु Helping Number एवं संवेदक/बोलीदाता द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सबंधी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

10. राज्य मे लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त कार्मिकों को नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

11. संवेदक/बोलीदाता द्वारा कार्मिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि अतिरिक्त रूप से देय नहीं होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा करायें गये वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से सलंग्न की

जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सम्बंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा। परन्तु यह समस्त राशि निविदा में अंकित अधिकतम देय राशि से अधिक नहीं होगी तथा इसी अधिकतम देय राशि में सभी प्रकार के कर, सर्विस जार्च, ई.पी.एफ और ई.एस.आई व जी.एस.टी. भी शामिल होंगे।

12. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व सवेंदक/बोलीदाता का ही होगा श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए सवेंदक/बोलीदाता स्वंय उत्तदायी होगा।

13. यदि संवेदक/बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। इसके लिए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेरके समक्ष प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

14. नियोजक श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजिम श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी मुआवजा आदि देने का समस्त दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

15. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बंध में/सदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता की होगी, इसके लिए इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

16. यदि संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत इस कार्यालय को प्राप्त होती है तो उसके सबंध में इस कार्यालय द्वारा श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित किया जायेगा और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक/बोलीदाता को Debar कराने की कार्यवाही की जायेगी।

17. कार्मिकों की संख्या में कमी/वृद्धि की जा सकती है। किसी न्यूनतम संख्या की गारंटी नहीं दी जायेगी एवं उत्पात संख्या में कमी या उत्पात नहीं करने की स्थिति में बोलीदाता किसी भी तरह का प्रतिकर का आधार नहीं होगा। प्रशिक्षित कार्मिक मय कम्प्यूटर सिस्टम की संख्या वृद्धि होने पर अनुबंधित सवेंदक/बोलीदाता द्वारा बोली की शर्तें, निबंधन एवं दर आदेशित समय एवं स्थान पर कार्मिक को करवाना होगा।

18. सफल सवेंदक/बोलीदाता द्वारा अपेक्षित संख्या में कार्मिक उपलब्ध करवाना क्षगता से परे होने पर, समानान्तर दर संविदा की जा सकती है।

19. अनुबंधित संवेदक/बोलीदाता द्वारा दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर कार्मिक उपलब्ध करने के लिए उनकी कीमत कोटकर्ता करता है/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन कार्मिक, कीमत कम करने या कोट करने की स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।

20. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

21. यदि एक से अधिक बोलीदाता की दरें समान मिलती है तो अनुभव के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

22. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या भाडे पर (Sub-let) नहीं देगा।

23. जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जायेगी, वह कार्यादेश जारी होने के 04 दिवस में कार्मिक उपलब्ध करवायेगा। उपलब्ध कराये गये कार्मिक का Computer Test & Speed Test (other than office Peon) लिया जायेगा तथा टेस्ट में सफल होने वाले कार्मिक ही कार्य करने के लिए अनुमत होगा।

24. बोलियों का अपवर्जनः– अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।

25. बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security) सफल बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र में उल्लेखित बोली प्रतिभूति राशि निम्न 'क' से 'ड' तक की शर्तें पूरी नहीं करने पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर के नाम पर डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा करायी जावेगी।

बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण) किया जा सकेगाः–

क– जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

ख– जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।

ग– जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

घ– जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में कम्प्यूटर सिस्टम मय प्रशिक्षित कार्मिक सप्लाई प्रारंभ नहीं करता।

ड– यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

26. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति–

अ– बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की 3 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर के नाम पर जमा करानी होगी एवं उक्त प्रदाय आदेश की रकम 500 रुपये के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादन करना होगा।

ब– कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

27. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of Work Performance Security Deposit) रू. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा–

(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा सप्लाई संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।

(ग) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरंभ करने में असफल रहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

28. भुगतान–

(1) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जाएगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल बाद प्रमाणीकरण भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारंभ के 03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलंब में बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलंब के लिए अनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

29. परिनिर्धारित क्षति (Liquidate Damages) & परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा है:–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलंब के लिए– 2.5 :

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक – 5: किन्तु विहित अवधि की आधी अवधी से अनधिक के लिए

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक – 7.5:

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलंब के लिए – 10:

(ङ) विलंब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जाएगा।

(छ) यदि बोलीदाता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरी करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(ज) यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

30. निविदा प्रपत्र पर संवेदक/संस्था द्वारा हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

31. आयकर की कटौती नियमानुसार की जायेगी।

32. निविदा दर एक वर्ष या दिनांक 31.03.2026 तक के लिए नियमानुसार मान्य होगी।

33. किसी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

34. मैन विद मशीन हेतु कार्मिकों की संख्या बढ़ाने/घटाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

35. निविदा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष निर्धारित दिनांक और समय को खोली जाएगी। निविदा खोलने की दिनांक को यदि अवकाश घोषित होता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जाएगी।

36. कार्मिकों की संख्या बढ़ाने/घटाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित हैं।

37. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

38. समस्त न्यायिक मामलों में न्याय क्षेत्र जैसलमेर शहर होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

:: घोषणा–पत्र ::

बोली की समस्त जानकारी/शर्तों का मैनें/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया हैं। मैं/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मैं/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड हैं। वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता हैं तथा वांछित कार्मिक उपलब्ध हैं तथा "अधिनियम की धारा 46 एवं "नियम" के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिए विवर्जित (Debarred) नहीं हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो भी की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी बोली प्रतिभूति/एवं कार्य निष्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपहृत (Forefeited) कर किया जा सकेगा तथा ई–बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया हैं रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर